न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 19/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/20)

1. हाकम अली पुत्र हनींफ खां जाति मुसलमान (कुम्हार) साकिन वार्ड नं. 16 नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. जैतुन पुत्री हनीफ 2. बलकिशा पुत्री हनीफ 3. जरीना पुत्री हनीफ 4. नूर सलाम पुत्र हनीफ 5. सरिया बानो पुत्री हनीफ 6. युनूस पुत्री हनीफ 7. याकुब पुत्र हनीफ	जाति मुसलमान (कुम्हार) साकिनान वार्ड नं. 16 तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामचन्द्र सिह भाटी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3
3. श्री विजय कुमार भादाणी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4 ता 7
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 08.02.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ के प्रकरण संख्या 19/2022 निर्णय दिनांक 06.07.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार नोहर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 82 दिनांक 02.03.2022 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.07.2023 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि रोही मौजा जोगी आसान सं. 2 तहसील नोहर के खाता सं. 16/16 के खसरा नं. 14 की 4.700 हैक्टयर भूमि हनीफ खा वल्द गनी कौम मुसलमान कुम्हार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 7 के पिता के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता हनीफ खां दिनांक 21.11.2003 को फौत हो चुके है। अपीलान्ट ने तहसीलदार नोहर के समक्ष पिता के देहान्त होने पर विरासतन इन्तकाल दर्ज करने हेतु आवेदन किया। प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी पेश की। प्रार्थना पत्र पेश करने वाला मुसलमान है और भूमिधारी भी मुसलमान है, इस कारण तहसीलदार को स्वतः मुस्लिम विधि के अनुसार इन्तकाल दर्ज करना चाहिए था, जबकि उक्त भूमि का अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करते समय अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्ट्स के ब.हि.ब. दर्ज कर दिया। मोम्मडन लॉ की धारा 118 के अनुसार पुत्रो का कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा व पुत्रियो का 1/8 हिस्सा की खातेदार है जबकि पुत्रियो का दुगना हिस्सा पुत्रो के पक्ष में व हिस्सा आता है। अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 तीनो का वाद भूमि में प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे अर्थात 3.585 हैक्टयर भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 का 1.195 हैक्टयर भूमि के खातेदार काश्तकार है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स की भूमि दर्ज कर दी, जिसका मातहत अदालत को अधिकार क्षेत्र नही था। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का आदेश स्पष्टतया गलत है कोई कारण निर्णय में अंकित नही किया है कि अपील क्यो खारिज की जा रही है, तथा यह स्पष्ट था कि भूमि का इन्तकाल मुस्लिम विधि से होना चाहिए। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 06.07.2023 एवं तहसीलदार नोहर का आदेश दिनांक 02.03.2022 निरस्त फरमावे तथा प्रकरण को तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड कर मुस्लिम विधि से इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करे। अपीलान्ट के विद्वान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2013 (1) पेज 659, RRD 1975 पेज 560–561, RRD 1999 पेज 569 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि हनीफ खां के देहान्त के बाद तहसीलदार नोहर के समक्ष विरासतन इन्तकाल दर्ज करने हेतु आवेदन किया। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, वारिस प्रमाण पत्र पेश किया गया। तहसीलदार ने इन्तकाल स्वीकृत से पूर्व सभी पक्षकारो को सुना है, इन्तकाल के पिछे अपीलान्ट व अन्य के हस्ताक्षर है। इन्तकाल स्वीकृत के बाद यह रिलीज करवाते है। दो बहनो से इन्ही भाईयो के पक्ष में हकत्याग किया है, एक बहिन ने हकत्याग करने से मना किया तो अपील पेश कर दी गई। Release Deed को निरस्त करवाने के लिए सिविल कोर्ट में जाना होगा, जब तक Release Deed कायम है तब तक इन्तकाल को निरस्त नही किया जा सकता है। इन्तकाल की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है। दिनांक 02.03.2022 को इन्तकाल होता है, फिर दिनांक 15.03.2022 को दो बहिनो द्वारा इनके पक्ष में हकत्याग करते है फिर एक बहिन के द्वारा हकत्याग करने से मना करने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 04.04.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करते है। तहसीलदार नोहर द्वारा परम्परा के अनुसार इन्तकाल दर्ज किया गया है जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा सभी तथ्यो की पूर्ण विवेचना करते हुए अपीलान्ट की अपील को खारिज किया गया है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलान्ट की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया भूमिधारी मुसलमान है, इस कारण तहसीलदार को स्वतः मुस्लिम विधि के अनुसार इन्तकाल दर्ज करना चाहिए था, परन्तु उन्होने ब.हि.ब. दर्ज कर दिया। अतः अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 06.07.2023 एवं तहसीलदार नोहर का आदेश दिनांक 02.03.2022 निरस्त फरमावे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 06.07.2023 एवं तहसीलदार नोहर का आदेश दिनांक 02.03.2022 निरस्त फरमावे तथा प्रकरण को तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड कर मुस्लिम विधि से इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

7. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ के प्रकरण संख्या 19/2022, के निर्णय दिनांक 06.07.2023 व तहसीलदार नोहर के द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 82 दिनांक 02.03.2022 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.07.2023 व नामान्तरण संख्या 82 दिनांक 02.03.2022 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 हनीफ खां के वारिसान है तथा जाति से मुसलमान है। तहसीलदार नोहर को उक्त भूमि का इन्तकाल मुस्लिम विधि से निस्तारित करना चाहिए था, जबकि तहसीलदार नोहर द्वारा मुस्लिम विधि अनुसार इन्तकाल दर्ज नही कर सभी वारिसानो का उक्त भूमि में ब.हि. बराबर दर्ज कर दिया गया।

The MUSLIM PERSONAL LAW-

Inheritance under Muslim law- Muslim law recognizes two types of heirs, Sharers and Residuraries. Sharers are the ones who are entitled to a certain share in the deceased's property and Residuraries would take up the share in the property that is left over after the sharers have taken their part.

If the deceased had left behind son (S) and daughter (s), then, the daughters cease to be sharers and become residuaries instead, with the residue being so distributed as to ensure that each son gets double of what each daughter gets.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2013(1) RRT 659- BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Rajasthan Land Revenue Act, 1956- sec. Mutation- Addl. Collector set aside the mutations No. 154&227- Addl. Divisional Commissioner quashed the order- In Muslim Law son& daughter were entitled for 2/3rd & 1/3rd share in the property- No share mentioned in the mutation& daughter 'j' sold 4 bigha land from her khatedari land-one appeal filed for two mutations- Not maintable-false reasons given in application u/sec. 5 for condonation of delay-Held, order upheld. (Paras 13,14,16,17,18,19)

इस प्रकार मुस्लिम विधि में कृषि भूमि का पुत्रो व पुत्रीयो का हिस्सा बराबर नही होकर अलग निर्धारित है। उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, का निर्णय दिनांक 06.07.2023 व तहसीलदार नोहर के द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 82 दिनांक 02.03.2022 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2023 व नामान्तरण संख्या 82 दिनांक 02.03.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण का मुस्लिम विधि की पालना करते हुए निस्तारण करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर